कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2742/12-1 : देहरादूनः दिनांकः 17– मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय , 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय– जनपद–उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड़ गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(FP/UK/ROAD/15527/2015)

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी/यू. सी.पी. /06/09/2017/एफ.सी/437., दिनांक–29.07.2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती के पत्र सं0–2206/12–1, दिनांक–26.04.2025 एंव प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक–24.12.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :–

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती एंव प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराकशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता विभाग द्वारा किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.322 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम डांग खसरा संख्या– 1532, 1533 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती एंव प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराकशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरवानिकी भूमि ग्राम डांग सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण क्षे0 3.322 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 11,31251.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या– 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। **(जमा चालान की छायाप्रति संलग्न–01)**
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल संलग्न है।)(संलग्नक–02)** भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा–29 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी कार्यालय के पत्र– 2740/12–1, दिनांक– 19.02.2025 द्वारा अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर वन संरक्षक भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन की अधिसूचना घोषित होने पर

		पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी। **(संलग्नक–03)**
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।**(संलग्नक–04)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 10,01925.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्न –01 के अनसार)**
5	**शुद्व वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक– 30. 10.2022, 01.08.2003, 24.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक– 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक– 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.525 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य दसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3. 322 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य के तहत रू0 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या– 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। **(संलग्न –01 के अनसार)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि,यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो,को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्व वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 वृक्ष एवं 4 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार खाण्ड गांव की Village Level Committee Proceeding इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या– 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)**
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–06)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–07)**
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–08)**
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–09)**
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–10)**
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–11)**
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–12)**
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नही की गयी है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–13)**
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–14)**
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–15)**
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–16)**
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–17)**
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–18)**

(30)

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्पलाईन न0–1926 (टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 2206 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 26 / 04 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग के 1.525 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन. के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र दिनांक 22.02.2024 के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/09/2017/एफ0सी0/437, दिनांक 29.07.2021 के द्वारा प्रश्नगत परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसमें अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के द्वारा अपने पत्रांक–2118/12–1, दिनांक 24.12.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त का अवलोकन करने के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मूल में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
26/04/2025

संख्या:– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

प्रभारी उत्तरकाशी
आ. का. और।

प्र० व० सं०/ नो०
29-4-25

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं0 4785
पत्रावली 12-1
दिनांक 29-04-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–2118 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 24/ 12 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,
उत्तराखण्ड।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौंतल गोटर मार्ग के 1.525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का कार्यालय पत्रांक– 1545/3 एल0ए0, दिनांक– 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से याचक विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक– 22.02.2024 में इंगित कमियों की बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो निम्नवत है–

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता विभाग द्वारा किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.322 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम डांग खसरा संख्या– 1532, 1533 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरवानिकी भूमि ग्राम डांग सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण क्षे0 3.322 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 11,31251.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या– 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।) भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा–29 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र– 2740/12–1, दिनांक– 19.02. 2025 द्वारा अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर वन संरक्षक भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया गया है। *प्रति संलग्न*/ शासन द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन की अधिसूचना घोषित होने पर पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 10,01925. 00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालान, ऑनलाईन चैक, आई0)
5	शुद्व वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक– 30.10.2022, 01. 08.2003, 24.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक– 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक– 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.525 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.322 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य के तहत रू0 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या– 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)

CamScanner

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि,यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो,को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्व वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 वृक्ष एवं 4 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार खाण्ड गांव की Village Level Committee Prroceeding इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या– 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। **(जमा पर्ची संलग्न)**
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का प्रमाण पत्र **(प्रमाणित प्रति)** संलग्न कर प्रेषित है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नही की गयी है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नही की गयी है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in) अपर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

4885
12-1
25/4/25
उत्तराखण्ड

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 2118 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुपालन आख्या को ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\DraftMan Letter\Letter.docx

C.F., B.C.

परियोजना का नाम - जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड वन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में,

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग परियोजना के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त योजना के बदले धरासू रैंज के अन्तर्गत ग्राम अंग के सिविल भूमि खसरा सं० 1532 रक्बा 1.983 है० व खसरा सं० 1533 रक्बा 1.339 है० कुल रक्बा 3.322 है० भूमि क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र में पूर्व में किसी योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया हैं। और न ही प्रस्तावित ~~क~~ हैं। चयनित क्षेत्र में विषयगत परियोजना के तहत ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र......गेंवला.......
तहसील.....डुण्डा.......

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वनराजि

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी के आदेश के अनुपालन में ग्राम डांग तह. डुण्डा पट्टी भण्डारस्यू की जो भूमि खसरा संख्या 1532 रकबा 1.903 एवं खसरा संख्या 1533 रकबा 3.322 है। वन प्रभाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की गई है, वहाँ वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर उपरोक्त भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वर्णित भूमि पूर्व में ही वन विभाग के नाम 1420 खतौनी (ग्राम डांग) में दर्ज है। जिसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। निरीक्षण में उल्लेखित खसरा नम्बरों की भूमि मौके पर विभाग के प्रतिनिधियों को मौके पर बता दिया गया है। जिस पर वहां बिना किसी रोक टोक के वृक्षारोपण कार्य कर सकते है।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र गेंवला
तहसील डुण्डा

सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम कब्जा प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम- जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से सैंतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.595 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड वन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में,

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले दोगुने क्षेत्रफल 3.322 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेश सं० - 1946/ ग्यारह - विविध (2019-20), दिनांक 31.12.2022 के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व Non Z.A ग्राम डांग में दर्ज खसरा नं० 1532 रकबा 1.983 है० एवं खसरा सं० 1533 रकबा 1.339 है० कुल रकबा 3.322 है० भूमि को वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम हस्तांतरण किया गया है, राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरण/नामांतरण की गई सिविल भूमि का सीमांकन कर वन विभाग के कब्जे में कर लिया गया है,

राजस्व उप निरीक्षक	(वन बीट अधिकारी)	(अनुभाग अधिकारी)	वन क्षेत्राधिकारी
क्षेत्र......शेपला........	(नगस बीट)	(स्युटेमा अनुभाग)	बरासू वनराजि
तहसील.....डुण्डा.......			

उद्धरण NZA खतौनी ग्राम - डांडा - धौ मण्डालद्यू तहसील - डुण्डा जिला - उत्तरकाशी फसली 1431 से 1436

भूलेख प्रपत्र सं० प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ग 8 भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में हो –														
श्री.	उत्तराखण्ड सरकार		2ग.	1.507											
	प्रबंधक वन विभाग		41	1.567											
			42ग.	3.779											
			67	1.129											
			94ग.	4.356											
			92	3.134											
			477ग	4.126											
			476ग	2.052											
			1497	1.758											
			1532ग	1.983 ✓					टंकित किया!						
			1533	1.339 ✓											
	खेत का योग		4	26.730											

[signature] 17/07/2024

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र....डांडा....
तहसील....डुण्डा....

सेवामें,

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय,
धरासू वन राजि वन प्रभाग
कोट बंगला उत्तरकाशी

विषय: उपयुक्तता प्रमाणपत्र

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन करना है कि जनपद उत्तरकाशी के खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग के 1.525 है० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डेरा तहसील डुण्डा पट्टी गाजणा ... की जमीदारी विनाश खसरा संख्या 1532 रकबा 1.983 एवं खसरा संख्या 1533 रकबा 1.339 है० कुल रकबा 3.322 है० भूमि इस वन प्रभाग के नाम ~~नामांत~~ हस्तांतरित / नामान्तरित की गयी है। जिसका स्थलीय निरीक्षण राजस्व उपनिरीक्षक गेवला के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपरोक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः उपयुक्तता प्रमाण पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

(राकेश बडोनी)
वन आरक्षी
नगाल बीट

(राजेन्द्र सिंह रावत)
भा०प्र० रथुरोला
धरासू वन राजि

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11 उद्धरण खतौनी Non ZA ग्राम-डांग पट्टी-भंडारस्यू तहसील-डुण्डा जिला-उत्तरकाशी फसली वर्ष - 1431-1436

	श्रेणी-वर्ग-8-भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में है				
21	उत्तराखण्ड सरकार		2म	1.507	
	प्रबंधक वन विभाग		41	1.567	
			xx	xx	
			xx	xx	
		✓	1532म	1.983	
		✓	1533	1.339	
	खाते का योग -		11	26.730	xx = xx

असल से नकल किया।
सत्यापित प्रतिलिपि,

तैयारकर्ता [signature] 16/12/2024

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र... डोबला
तहसील... डुण्डा

भूलेख प्रपत्र सं0 प-11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
															5
															10
															15
															20

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार आई०आर०सी० मापदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रारूप 30.3

ना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे0 आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि 2.3625 हे0 भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रौंतल
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खाण्ड गांव से रौंतल परियोजना के निर्माण हेतु (1.525 हे0) आरक्षित वन भूमि, ---- हे0 सिविल सोयम भूमि---- हे0, वन पंचायत भूमि ---- हे0) अर्थात कुल 1.525 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौंतल द्वारा दिनांक 16/3/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौंतल गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

16-3-15
ग्राम पंचायत सचिव

ग्राम प्रधान खण्ड
19/3/15

16-3-15
ग्राम प्रधान रौंतल

प्रारुप–30.4

दिनांक 16.3.11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....रौंतल....

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्रमणि बिजलवाण S/o महावीर बिजलवाण	[signature]
2	राजेश S/o पारसनाथ बिजलवाण	राजेश
3	शान्तिराम S/o कमला	[signature]
4	रामलाल S/o कमला प्रसाद	रामलाल
5	कलिराम S/o जगदीश	[signature]
6	गोबरधन S/o जगदीश	गोबरधन
7	गीताराम S/o कलिराम	[signature]
8	कन्हैया S/o अवधनन्द	गुणानन्द
9	गुणानन्द S/o रामेश्वर	रामकृष्ण
10	रामकृष्ण S/o पुरुषोत्तम	शम्भोप्रसाद
11	शम्भोप्रसाद S/o रामेश्वर	[signature]
12	राजेश S/o सुन्दर लाल	गयाप्रसाद
13	गयाप्रसाद S/o ऋषिराम	महिमानन्द
14	महिमानन्द S/o ऋषिराम	मुरलीधर
15	मुरलीधर S/o जगदीश	[signature]
16	कैलाश S/o सदानन्द	[signature]
17	सूर्यमणि S/o इन्द्रदेव	लीलानन्द
18	लीलानन्द S/o विद्यासागर	[signature]
19	पूर्णानन्द नौटियाल S/o स्व. राजेन्द्र	राजाराम
20	राजाराम बिजलवाण S/o स्व. श्री जगदीश	[signature]
21	प्रकाश बिजलवाण S/o भूतेश्वर	कमल
22	कमल S/o लक्ष्मीकान्त भट्ट	विनोद
23	विनोद नौटियाल S/o पूर्णानन्द	गंगाराम
24	गंगाराम S/o स्व. कुलानन्द मिश्रा	[signature]
25	राकेश मिश्रा S/o धनीराम	रामप्रकाश
26	रामप्रकाश नौटियाल S/o ओंकार	[signature]
27	सुनील नौटियाल S/o रामचन्द्र हर्षमणि	[signature]
28	सुभाष नौटियाल S/o रामचन्द्र	[signature]
29	सर्वेश नौटियाल S/o प्रकाश	[signature]
30	मुरारी नौटियाल S/o जगदीश	[signature]

[signature]
ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.4

दिनांक 16/3/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिथति
ग्राम पंचायत ......रौंतल.......

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कमांक	ग्राम सभा में उपरिथत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
31	गौरी शंकर S/o श्री महावीर	गौरीशंकर
32	परस नाथ S/o श्री महावीर	परसनाथ
33	विशाल मणी S/o महिमा नंद	विशालमणी
34	हर्षमणी S/o कमला प्रसाद	हर्षमणी
35	गोकुल देव S/o जगदीश	हर्षमणी
36	श्याम लाल S/o आनन्द नंद	श्याम लाल
37	किर्ती राम S/o रमेश्वर	[illegible]
38	जय कृष्ण S/o पुरुषोत्तम	जय कृष्ण
39	रामनरेश S/o दशरथ जौटियाल	Ramesh
40	शरत नंद S/o वार्षि राम	शरतनन्द
41	जगदीश S/o वार्षि राम	जगदीश
42	चिन्तामणी S/o नन्द देव	[illegible]
43	नरोत्तम S/o विद्या सागर	[illegible]
44	विद्या सागर S/o रविन्द्र	विद्यासागर
45	विनय S/o रविन्द्र	Vijal
46	मुरारी S/o गिरेश्वर	मुरारी
47	ज्योती प्रसाद S/o लक्ष्मी नंद	ज्योतीप्रसाद
48	परमोद जौटियाल S/o कुर्मी नंद	ज्योति
49	जमना प्रसाद S/o स्व श्री कुलानंद मिश्रा	जमनाप्रसाद
50	गणेश मिश्रा S/o स्व ध्यानी राम	गणेश
51	धुत मुन जौटियाल S/o राम चन्द जौटियाल	[illegible]
52	प्रतेश जौटियाल S/o स्व श्री प्रकाश	[illegible]
53	हर्षमणी जौटियाल S/o जगदीश जौटियाल	हर्षमणी
54	गोपाल बिजल्वाण S/o मायाराम	Gopal
55	धर्मानंद बिजल्वाण S/o नामी राम	[illegible]
56	हर्षमणी जौटियाल S/o स्व श्री गजेन्द्र जौटियाल	[illegible]
57	कुर्मी जौटियाल S/o स्व श्री रुद्रेश्वर जौटियाल	[illegible]
58	सुभाष जौटियाल S/o कुर्मी राम	Subhash
59	दाता राम S/o स्व कमला प्रसाद बिजल्वाण	दाताराम
60	उदय राम बिजल्वाण S/o स्व श्री केदार	उदय राम

22

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.4

दिनांक 16/3/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ......रौंतल.........

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
61	विरेन्द्र प्रसाद S/o लक्ष्मी कांत भट्ट	विरेन्द्र
62	विजय S/o स्व राजेन्द्र	[illegible]
63	तिलक मणी S/o मायाराम	तिलक
64	पूर्णा नन्द बिजल्वाण S/o लच्छी राम	पूर्णानन्द
65	आशीष बिजल्वाण S/o धर्मानन्द बिजल्वाण	[illegible]
66	मुर्ती राम नौटियाल S/o स्व राजेन्द्र	मुर्ती राम
67	संजय बिजल्वाण S/o कान्ता प्रसाद	संजय
68	राम किशोर बिजल्वाण S/o दाता राम बिजल्वाण	राम किशोर
69	रामजी बिजल्वाण S/o स्व श्री केदार	राम जी बिजल्वाण
70	धनीश्वरी देवी W/o स्व श्री केदार	धनीश्वरी
71	सुनीता देवी W/o उत्तम राम	सुनीता देवी
72	राधा देवी W/o स्व धनी राम	राधा देवी
73	मुन्नी देवी W/o चिन्ता मणी	मुन्नी
74	विमला देवी W/o मुर्ती राम नौटियाल	विमला देवी
75	सूरज मणी नौटियाल S/o हर्षमणी नौटियाल	[illegible]
76	सुभाष नौटियाल S/o मुर्ती राम नौटियाल	सुभाष
77	शैला देवी W/o श्री पूर्णा नन्द नौटियाल	शैला देवी
78	शकुन्तला देवी W/o विद्या सागर	सुनीता देवी
79	शकुन्तला देवी W/o विजय नौटियाल	सुनीता देवी
80	शैला देवी W/o हर्षमणी नौटियाल	शैला देवी
81	मदनमोहन S/o हरि नौटियाल	गणेश
82	गणेश बिजल्वाण S/o राम शंकर	विनोद
83	विनोद नौटियाल S/o	Vinod
84	रामदेव S/o लाखीराम नौटियाल	सुन्दरलाल
85	सुन्दरलाल	[illegible]
86	शिवानन्द बिजल्वाण	शिवानन्द
87	आषाड़ी देवी	आषाड़ी
88	बैशाखु राम	बैशाखु
89	जितेन्द्र लाल S/o नित्यानन्द	जितेन्द्र
90	तिलकमणी	तिलकमणी

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.4

दिनांक 16/3/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....रौंतल........

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
91	केशमानन्द S/O रामदेव	केशमानन्द
92	दिनेश S/O रामशंकर	Dinesh
93	गब्बालाल S/O जितार लाल	गब्बाल लाल
94	सुरेश S/O रामशंकर	सुरेश
95	पारवती देवी W/O शम्भु प्रसाद बिजल्वाण	पारवती देवी
96	शारदा देवी W/O इन्द्रदेव	शारदा देवी
97	उमादेवी W/O प्रजापति	उमादेवी
98	कस्तूरी लाल S/O मंगलू लाल	कस्तूरी लाल
99	पुरणू लाल S/O राकिमा लाल	पुरणलाल
100	भग्या देवी W/O जितार लाल	भग्या
101	बुद्धीलाल S/O चैतू लाल	बुद्धीलाल
102	चैतू लाल S/O महिमालाल	चैतूलाल
103	भूमी नौटियाल S/O लाखीराम नौटियाल	भूमी
104	रामजी नौटियाल S/O लाखी राम	रामजी
105	शरदानन्द S/O गीताराम बिजल्वाण	शरदानन्द
106	विष्णु बिजल्वाण S/O काशीराम	Sbinu
107	जगदीश बिजल्वाण	[illegible]
108	ब्रह्मा S/O वंशी	[illegible]
109	नागी देवी W/O मदन मोहन	[illegible]
110	जगतमा देवी W/O हरिप्रसाद नौटियाल	जगदम्बा
111	लक्ष्मी देवी W/O रुक्मणी नौटियाल	लक्ष्मी
112	सूरजमनी मिश्रा S/O पितम्बर	सूरजमणी
113	पुर्णानन्द नौटियाल	[illegible]
114	नन्दराम मिश्रा S/O स्व माहिमानन्द	नन्दराम
115	पुर्णानन्द शर्मा	पुर्णानन्द
116	तोताराम मिश्रा S/O स्व श्री महिला	तोताराम
117	किशन लाल बिजल्वाण S/O स्व हरिमणि	किशन लाल
118	सोनी शर्मा S/O पूर्णानन्द	Sonu
119	वाचस्पती मिश्रा S/O खिमानन्द	वाचस्पति
120	मोनी शर्मा S/O पूर्णानन्द	Mon

ग्राम प्रधान

(74)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम खाण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.525 हे0)** आरक्षित वन भूमि, –/– हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि –X– हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **(1.525 हे0 वन भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील चिन्यालीसौड़)** की दिनांक 12/6/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री बी0 एन0 शुक्ला** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **बी0एन0 शुक्ला** उपजिलाधिकारी **डुण्डा** अध्यक्ष
2– श्री **आर0बी0 सिहं** उप प्रभागीय वनाधिकारी **धरासू** सदस्य
3– श्री **संजय लिगंवाल** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **चिन्यालीसौड़** सदस्य / सचिव
4– श्री **बिजेन्द्र सिहं रावत** बी0डी0सी0 क्षेत्र **चिन्यालीसौड़** सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **ग्राम खाण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग परियोजना** हेतु 1.525 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **धरासू** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम खाण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **1.525 हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **चिन्यालीसौड़**
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... **उत्तरकाशी** .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **चिन्यालीसौड़**
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 12/6/2015 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बी0एन0 शुक्ला	उपजिलाधिकारी डुण्डा	उप जिलाधिकारी डुण्डा उत्तरकाशी
2	श्री आर0बी0 सिहं	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू वन राजि उत्तरकाशी वन प्रभा
3	संजय लिगंवाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)
4	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	प्रमुख क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़

प्रारुप–30

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector-uttarkashi

Dated-19/8/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.525 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works deparment...chinyalisour uttarkashi** for **road construction in uttarkashi district** falls within jurisdiction of rountal. village (s) in **chinyalisour** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 1.525 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-uttarkashi

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.uttarkhashi..district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/ Indudhar Baurai I.A.S district magistrate uttarkashi on dated .19.9.2015......... .at uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring **1.525. hect** for the construction of khand gaon to Rountal motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...uttarkashi.............
Dated:..19.9.2015

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-uttarkashi

It is cetified that –Minutes of meeting of Khand gaon to Rauntal road (Length ४.७५० Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire **1.525 Het** of forest area proposed for deversion. A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-chairman
District Level Committe
Uttarkashi

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिति, जिला–उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/8/2015 ....को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री इन्दुधर बौडाई	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	
3	श्री विजय बहादुर	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	
4	श्री जितेन्द्र सिहं राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेंण	
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डुण्डा	

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन हेतु एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यायवरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यायवरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार नही बदला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन/निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में निर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

<u>प्रमाण – पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017–एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेंगे कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 09 / 2017 / एफ.सी. | 1287 दिनांकः 29 / 07 / 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद– उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online **Proposal no. FP/UK/Road/15527/2015**)

सन्दर्भः– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1301 / x-4-16/1(393)/2016 दिनांक 20.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी. ;.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– जनपद– उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.05 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम डांग खसरा संख्या 1532,1533 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
   ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरि[illegible] किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **1.525** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 वृक्ष एवं 4 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. राज्य सरकार 'खाण्ड' गांव की Village Level Committee proceedings इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
12. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

सं०अधि०/प्रभारी उत्तरकाशी
आ-का-के।

30

Bill Type : Normal

E-Sign
Executive Engineer
Construction Division P.W.D
Chinyalisaur (Uttarkashi)

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

: उत्तरकाशी
: उत्तरकाशी

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)
वाउचर दिनाक	

1	0	3

4	1	0	0

1	0	2	8

0

: मतदेय

लेखा कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक ... 3 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

: अधिशासी अभियता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी

4	2	3	4

: अधिशासी अभियता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी

निर्माण कार्य Connect 14- सोर्स कोड :0 15- सेक्टर कोड : 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

(यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें) Project : PR41004234022310004 Payment of NPV and plantation of damaged trees for Khand gaon to rauntal motor road in Chinyalisour block of district uttarkashi. .
Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति

आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
6921947	3153137	3768810

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	21,33,176
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के वाद)	**21,33,176**

OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**21,33,176**

व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रू0	अभ्युक्ति
1/16 FEB-2023/Mr Uttaranchal Campa	21,33,176	
...राशि अग्रिम समायोजन के वाद	**21,33,176**	
कटौतियां	-	
धनराशि 66-77	**21,33,176**	

...कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के ... किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी
खण्ड, लो.नि.वि.
उत्तरकाशी

Executive Engineer
Construction Division P.W.D
Chinyalisaur (Uttarkashi)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल कोड एसाइन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

Executive Engineer
Construction Division P.W.D
Chinyalisaur (Uttarkashi)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...3,176 (Rupees Twenty One Lacs Thirty Three Thousand One Hundred Seventy Six Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

रू0 21,33,176

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर .

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
...0423402231003 Mr ...chal Campa	Saving	UBIN0903710	150896115527745	2133176	0	0	2133176
				2133176			

Passed for Rs. 21,33,176=00

FORM 28 HAND RECIEPT

(See Chapter X, Paragraphs 284,290 & 304)

Date..........

... Voucher .... 2133176=00

... by Cheque/Cash Rs. ( ) इक्कीस लाख तैंतीस हजार एक सौ छियत्तर (रु०)

... Paid by me ....

... from the .... in charge of ....

.... 21,33,176=00

... Division .... Division the sum of Rs. ( )

... Work of purpose for which payment is made ....

Amount in Voucher

... for Rs. .... Signature of payee

Paid Vide Cheque No. ... Rs. 2133176. VP

Date 16.02.22

EE

[illegible] — 10,01,925=00

[illegible] — 11,31,251=00

योग — 21,33,176=00

C/S RS = 21,33176.00

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-08-2021

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6115527745
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/09/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, ChinyalisaurUttarkashi
Amount(in Rs)	2133176/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Three Thousand One Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115527745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-08-2021

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6115527745
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/09/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	2133176/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Three Thousand One Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115527745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

(11) (1)

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

E-mail- dm-utt-uk@nic.in, Ph.-01374-222101, 222280 Fax-01374-222119,222121

(2019-20)

संख्या: 1956 /ग्यारह-विविध

दिनांक 31 दिसम्बर, 2022

क्रमांक 1570

डायरी सं० 15

दिनांक 04 06/01/2023

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चिन्यालीसौड़।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:1161/03 एल0ए0 दिनांक 05 सितम्बर,2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ खाण्ड गांव से रौतल मोटरमार्ग के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर खाण्ड गांव से रौतल मोटरमार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खसरा संख्या:1532/1.983हे0,1533/1.339हे0 भूमि स्वीकृति कर हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में तहसीलदार,चिन्यालीसौड़/उप जिलाधिकारी,डुण्डा से आख्या मागी गयी, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अपने पत्र संख्या:241/र0का0-क्षतिपूरक वृक्षा0/23021-22 दिनांक 17 दिसम्बर,2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटरमार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डांग तहसील डुण्डा मध्ये खसरा संख्या:1532/1.983हे0, 1533/1.339हे0 कुल रकबा 3.322 हे0 भूमि अव्वल ही भू-अभिलेखों में वर्तमान समय में (श्रेणी-08 जो सरकारी विभागों के अधिकार में है) वन विभाग के नाम दर्ज अभिलेख है।

अत: आप उक्त भूमि की खतौनी सम्बन्धित तहसील से प्राप्त कर उपरोक्त मोटरमार्ग के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

अधीक्षण अभियन्ता
02 JAN 2023
02 11/01/2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-
उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
अधिशासी अभियन्ता,6वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
तहसीलदार, चिन्यालीसौड़।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

पृ० संख्या- 02/ [illegible] दिनांक 7/01/2023
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड [illegible] को इस आशय से प्रेषित है कि [illegible] द्वारा दिये गये निर्देशानुसार [illegible] भूमि की खतौनी सम्बन्धित [illegible] अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक [illegible] की आख्या [illegible]

अधीक्षण अभियन्ता
6वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग,